न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मु0न0 – 47/2022

उनवान : –

1. प्रेमलता पत्नी हनुमानसिंह जाति जाट निवासी सिकरोडी त0 भादरा।
2. राजेश पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट निवासी सिकरोडी त0 भादरा।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र रामधन जाति जाट निवासी सिकरोडी त0 भादरा।
2. भागीरथ पुत्र रामधन जाति जाट निवासी सिकरोडी त0 भादरा।
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट</u>
उपस्थिति :–श्री पवन सिंहाग प्रार्थीगण
श्री रामचंद्र बैनीवाल अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक: 23/01/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 केआरपी के खाता सं0 106/87 मु0न0 27 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25, मु0 न0 28 किला न0 1, 2/2, 9/2, 10, 11, 12/2, 19/2, 20, 21, 22, मु0 न0 33 किला न0 1/1, 1/2, 2/2, 2/3, मु0 न0 34 किला न0 5 कुल रकबा 4.0200है0 जिसमें नहरी 3.9820है0, गै0 मु0 खाला 0.0380है0 प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी के चिपते ही पूर्वी तरफ रोही चक 2 केआरपी के खाता सं0 86/70 के मु0 न0 28 किला न0 2/1, 3, 4, 5/2, 6/2, 7, 8, 9/1, 12/1, 13, 14, 15/2, 16/2, 17, 18, 19/1, 22/1, 23, 24, 25/2 मु0 न0 33 किला न0 2/1, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/2, 5/3 कुल 4.0200है0 जिसमें नहरी 3.9440है0, गै0 मु0 खाला 0.0760है0 अप्रार्थी सं0 2 भागीरथ के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व अप्रार्थी सं0 2 के चिपते ही पूर्वी तरफ रोही चक 2 केआरपी के खाता सं0 7/6 के मु0 न0 28 किला न0 5/1, 5/3, 6/1, 6/3, 15/1, 15/3, 16/1, 16/3, 25/1, 25/3 मु0 न0 29 किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19 ता 22, मु0 न0 32 किला न0 1, 2, 9 मु0 न0 33 किला न0 5/1, 5/4 कुल रकबा 4.3510है0 जिमें नहरी 4.2130है0, गै0 मु0 खाला 0.1380है0 अप्रार्थी सं0 1 अमरसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थी सं0 1 के मु0 न0 32 के किला न0 1 व 2, मु0 न0 33 के किला न0 5/1 व अप्रार्थी सं0 2 भागीरथ के मु0 न0 33 के किला न0 5 व 3/1, 4/1, 2/1 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए नहीं है। अतः प्रार्थीगण उक्त रास्ता को स्वीकृत करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल किया गया। अप्रार्थी सं0 3 ता 5 को वकील प्रार्थीगण ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रोही मौजा चक 2 केआरपी के खाता सं0 106/87 मु0न0 27 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25, मु0 न0 28 किला न0 1, 2/2, 9/2, 10, 11, 12/2, 19/2, 20, 21, 22, मु0 न0 33 किला न0 1/1, 1/2, 2/2, 2/3, मु0 न0 34 किला न0 5 कुल रकबा 4.0200है0 जिसमें नहरी 3.9820है0, गै0 मु0 खाला 0.0380है0 प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थी सं01 के मु0 न0 32 के किला न0 1 व 2, मु0 न0 33 के किला न0 5/1 व अप्रार्थी सं0 2 भागीरथ के मु0 न0 33 के किला न0 5 व 3/1, 4/1, 2/1 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाईन के पास पास पूर्व से पश्चिम की तरफ रास्ता के लिए निवेदन किया। इस हेतु रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी सं0 1 अमरसिंह के मु0 न0 28 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 व मु0 न0 33 के किला न 0 5 में से कुल 0.0342है0 कृषि भूमि रास्ता के लिए कम की जाकर उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 2 भागीरथ अप्रार्थी सं0 1 अमरसिंह को चिपते हुए अपनी भूमि देगा व अप्रार्थी सं0 2 के मु0 न0 28 के किला न0 3, 9, 12, 19, 22 व मु0 न0 33 के किला न0 2 में से कुल 0.03315है0 कृषि भूमि रास्ता के लिए कम की जाकर उक्त भूमि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 2 भागीरथ को उसके चिपते हुए देना स्वीकार किया है। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थी सं0 1 अमरसिंह के मु0 न0 32 के किला न0 1 व 2 प्रत्येक किला में किला लाईन के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.013है0, एवं मु0 न0 33 के किला न0 5/1 में किला लाईन के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.00820है0 एव अप्रार्थी सं0 2 भागीरथ के मु0 न0 33 के किला न0 5/2 में किला लाईन के दक्षिणी तरफ पूर्व से

(राजस्व)
हनुमानगढ़

पश्चिम 0.00325है0, किला न0 3/1, 4/1 में किला लाईन के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला में 0.013है0, किला न0 2/1 में किला लाईन के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.0039है0 रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें। उक्त रास्ते के लिए अप्रार्थी सं0 1 अमरसिंह की कुल 0.0342है0 कृषि भूमि की एवज में उसके चिपते हुए अप्रार्थी सं0 2 भागीरथ की कृषि भूमि किला में से कम की जावे व अप्रार्थी सं0 2 भागीरथ की कुल 0.03315है0 कृषि भूमि की एवज में उसके चिपते हुए प्रार्थीगण सं0 1 प्रेमलता व प्रार्थीगण सं0 2 राजेश की कृषि भूमि में से कम की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़